झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

<u>क्रिमिनल रिवीजन सं0 1 वर्ष 2017</u>

राजू राणा, पे0 भीखी राणा, निवासी ग्राम–भलपहरी, डाकघर एवं थाना–ताराटांड, जिला–गिरिडीह .... याचिकाकर्त्ता

बनाम

झारखण्ड राज्य एवं अन्य .... विपक्षीगण

कोरम : **<u>माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय</u>**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री विजय कुमार रॉय, अधिवक्ता

विपक्षी पक्ष सं0–1 के लिए :–श्री राकेश कुमार, ए0पी0पी0

6 / 24.07.2017 श्री विजय कुमार रॉय, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और श्री राकेश कुमार, राज्य की तरफ से विद्वान ए0पी0पी0 को सुना।

यह आवेदन भरण–पोषण वाद संख्या 228 / 2013 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गिरिडीह द्वारा दिनांक 27.09.2016 को पारित आदेश के खिलाफ निर्देशित किया गया है, जिसके द्वारा एवं जिसके तहत याचिकाकर्ता को विरोधी पक्ष संख्या 2 को 1500 / – रूपये और विपक्षी पक्ष संख्या 3 एवं 4 को 1000 / – रूपये प्रति माह का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता एक अकुशल श्रमिक है और वह बहुत कम राशि कमाता है और वास्तव में भरण–पोषण की राशि उसकी आय के अनुरूप नहीं है।

विद्वान ए0पी0पी0 ने उनके प्रार्थना का विरोध किया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि विरोधी पक्ष संख्या 2 के पक्ष में प्रति माह रू0 1500/– की अल्प राशि अधिनिर्णीत की गई है, जबकि विरोधी पक्ष संख्या 3 और 4 के पक्ष में रू0 1000/– अधिनिर्णित किए गए हैं। हालांकि, यह बताया गया कि याचिकाकर्ता 6,550/– रूपये कमाता है, यदि अकुशल कामगार के लिए न्यूनतम मजदूरी पर विचार किया जाता है, लेकिन तथ्य यह है कि स्वयं के निर्वाह के लिए, विरोधी पक्ष संख्या 2, 3 एवं 4 के पक्ष में अधिनिर्णित राशि याचिकाकर्ता की आय के अनुरूप की गई है। हालांकि, आर्थिक परिदृश्य और आवश्यक वस्तुओं के मूल्य सूचकांक के अनुसार, इस प्रकार दी गई राशि बहुत कम राशि प्रतीत होती है, हालांकि याचिकाकर्ता की आय पर विचार करते हुए, विरोधी पक्षों को दिए गए भरण–पोषण की राशि, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती दी गई थी, उचित है और अन्यथा निष्कर्ष निकालने का कोई कारण नहीं है, मैं आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ।

तदनुसार, यह आवेदन खारिज किया जाता है।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)